7

क्या स्त्रियों को सभा में बोलने की अनुमति है?

स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परन्तु आधीन रहने की आज्ञा है: जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। और यदि वे कुछ सीखना चाहें, तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है (1 कुरिन्थियों 14:34, 35)।

कलीसियाओं में स्त्रियों के चुप रहने पर 1 कुरिन्थियों 14:34, 35 में दी गई आज्ञा की समीक्षा करते हुए हमें पहले आयत 33 के अन्त में दिए वाक्यांश ''जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है'' पर विचार कर लेना चाहिए। क्या यह आयत 33 में होना चाहिए या आयत 34 में। एफ. डब्ल्यू. ग्रोशेड ने अच्छा अवलोकन किया है:

> आयत 33क के शब्द कोई और योग्यता लेने से इनकार करते हैं, इसलिए *जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है* वाक्यांश से पहले वाले के साथ नहीं हो सकता, जैसा कि कुछ लोगों ने करने का प्रयास किया है। इसके आगे के शब्दों से लेना एक उपयुक्त यादगार है कि यह आज्ञा केवल कुरिन्थुस के लोगों को ही नहीं बल्कि सब कलीसियाओं को दी गई है (तुलना करें 7:17)।[1]

आगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ''क्या स्त्रियों को इकट्ठी हुई परमेश्वर के लोगों की पूरी मण्डली में बोलने की अनुमति है?'' पौलुस ने लिखा, ''स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परन्तु आधीन रहने की आज्ञा है: जैसा व्यवस्था में लिखा भी है'' (1 कुरिन्थियों 14:34)।

कई विद्वानों का मत है कि इस आयत में पौलुस स्त्रियों को आम सभा में बोलने को मना कर रहा था। अन्यों का मानना है कि यह हमेशा साधारण सभा में स्त्रियों के बोलने पर लागू होता है पर उनका विचार है कि यह विशेष परिस्थितियों में उसी समय लागू होता था। कइयों का तो यह भी मानना है कि यह पहली शताब्दी की कलीसिया की स्त्रियों पर लागू होता था पर आज लागू नहीं होता।

क्या पौलुस ने अपनी ही बात का विरोध किया?

कइयों का विचार है कि पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 11:2–17 और 1 कुरिन्थियों 14:34,

35 में अपनी ही बात का विरोध किया है। उसकी शिक्षा में लगने वाले इस विवाद को सुलझाने के कई प्रयास हुए हैं। यदि और तर्कपूर्ण व्याख्याएं दी जा सके तो किसी बात को विवाद नहीं माना जाता। यदि स्त्रियां केवल कलीसिया की साधारण सभा में ही प्रार्थना या भविष्यवाणी कर सकतीं तो पौलुस अपनी बात का ही विरोध कर रहा हो सकता था। परन्तु स्त्रियां कई अन्य परिस्थितियों में प्रार्थना कर सकतीं और भविष्यवाणी कर सकती थीं। यह तथ्य कि फिलिप्पी में स्त्रियां धार्मिक उद्देश्य से इकट्ठी हुईं (प्रेरितों 16:13) इस बात का संकेत हो सकता है कि मसीही स्त्रियों में भी यह साधारण बात थी। 1 कुरिन्थियों 14:34, 35 का आदेश केवल तब लागू होता था जब ''कलीसिया एक जगह इकट्ठी'' होती थी (1 कुरिन्थियों 14:23) जबकि 1 कुरिन्थियों 11:5 सम्भवतया कलीसिया की साधारण सभा के बजाय अन्य अवसरों के लिए लागू होता था।

पूरी कलीसिया

1 कुरिन्थियों 14 में पौलुस उलझन की साधारण सभा को छोड़ना चाहता था ताकि कलीसिया में सुधार हो सके (आयतें 4, 5, 12, 19)। सभा में उलझन वहां होने वाली कई विघटनकारी रीतियों के कारण पैदा हुई थी। (1) भाषाएं वहां मौजूद अनुवादक के बिना आश्चर्यकर्म के द्वारा बोली जा रही थी (1 कुरिन्थियों 14:23)। (2) एक ही समय में एक से अधिक भविष्यवक्ता बोल रहे थे (1 कुरिन्थियों 14:27)। (3) स्त्रियां सभा में बोलती थीं और हो सकता है कि उन पुरुषों से जो भविष्यवाणी करते थे, प्रश्न पूछने के लिए व्याख्या कर रही हों (1 कुरिन्थियों 14:34, 35)।

इस स्थिति में सुधार लाने के लिए पौलुस ने हर समूह को सम्बोधित किया। जो लोग अन्य भाषाओं में बोलते थे उन्हें एक समय में एक जन को बोलने और उसका अनुवाद होने पर ही बोलने के लिए कहा गया (1 कुरिन्थियों 14:27, 28)। भविष्यवक्ताओं को भी बारी-बारी से बोलने के लिए कहा गया ताकि दूसरे लोग परख सकें कि उन्होंने क्या कहा है (1 कुरिन्थियों 14:29-31)। महिलाओं को खामोश रहने के लिए कहा गया था (1 कुरिन्थियों 14:34), क्योंकि ''स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है'' (1 कुरिन्थियों 14:35)।

स्त्रियों के लिए दी गई निषेद्याज्ञा का समझने के लिए चार मूल नियमों को समझना आवश्यक है। पहला, यह नियम तभी लागू होता था जब ''सारी कलीसिया'' इकट्ठी हो (1 कुरिन्थियों 14:23), सो यह तब लागू नहीं होता था जब सारी कलीसिया इकट्ठी न हुई हो। पौलुस यहां बाइबल क्लास के प्रबन्ध की बात नहीं लिख रहा था इसलिए यह आदेश सम्भवतया बाइबल क्लास में लागू नहीं होता। इस आयत को बाइबल क्लास में लागू करना जहां पूरी कलीसिया इकट्ठी नहीं है, एक ऐसी स्थिति में लागू करना है, जिस पर पौलुस विचार नहीं कर रहा था। हमें उन अवसरों पर पाबन्दियां नहीं लगानी चाहिए, जिनकी इन वचनों में चर्चा नहीं है।

दूसरा, ''बातें करना'' का अर्थ, उस स्थिति से निर्धारित होना चाहिए जिसमें यह

लगती है और संदर्भ के विपरीत संकेत न होने पर इसका मूल अर्थ बरकरार रखना चाहिए। ''बातें करना'' *lalein* का अनुवाद है जिसका अर्थ ''बोलना'' या ''आवाज़ निकालना'' है। 1 कुरिन्थियों 14 यह शब्द चौबीस बार आया है। यहां *lalein* का संदर्भीय अर्थ नये नियम की अन्य आयतों की तरह बातें करना या केवल ''बोलना'' है। ''अन्य भाषाओं'' (यू.: *glossa;* 1 कुरिन्थियों 14:2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 26, 27) में बोलने वाले बड़बड़ या न समझ आने वाली आवाज़ें नहीं निकाल रहे थे। अन्य भाषा बोलने वाला आश्चर्यकर्म के द्वारा उस भाषा के द्वारा, जो उसने पढ़ी या सीखी नहीं होती थी, पूरी सभा से बात कर रहा होता था (1 कुरिन्थियों 14:23)। दूसरी ओर भविष्यवक्ता पूरी सभा के साथ उस भाषा में बात करते थे, जिसे वे जानते थे (1 कुरिन्थियों 14:29)। 1 कुरिन्थियों 14:34 की संदर्भीय स्थिति, *lalein* (''बोलना'') का अर्थ मण्डली को संदेश के साथ सम्बोधित करना है। इस स्थिति में ''बोलना'' का अर्थ गीत गाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों में भाषण है:

> बातें करने [*lalein*] और चुप रहने [*sigao*] का ढंग अन्य भाषा बोलने वालों और भविष्यवक्ताओं के बोलने के विषय में पिछली आयतों (27-30) वाले शब्दों के इस्तेमाल से स्पष्ट होता है। वहां दी गई भाषा सभा को सम्बोधित करने के लिए इस्तेमाल किए गए सार्वजनिक भाषण का और इस प्रकार बोलने से रोकने से खामोश होने का संकेत है।[2]

तीसरा, ''चुप रहने'' (यू.: *sigao;* 1 कुरिन्थियों 14:34) का अर्थ, ''खामोश होना'' या ''शान्त रहना'' भी महत्वपूर्ण है। उनके लिए जो आश्चर्यकर्म से कोई और भाषा बोल रहे थे, *sigao* (''चुप रहना'') का अर्थ यह था कि वे पूरी मण्डली को सम्बोधित करने से रुक जाएं या परहेज करें (1 कुरिन्थियों 14:28)। इस निर्देश का अर्थ वही था, जो बोलने वाले भविष्यवक्ता के लिए था (1 कुरिन्थियों 14:30)। स्पष्टतया पुरुष किसी दूसरे से जो बोल रहा हो, प्रश्न पूछने के अर्थ में ''बातें कर'' सकते थे। कम से कम अन्य भाषा बोलने वालों या भविष्यवक्ताओं से प्रश्न पूछने के सम्बन्ध में पुरुषों पर ऐसी कोई पाबन्दी नहीं थी। भविष्यवक्ता या अन्य भाषा बोलने वाले के लिए किसी दूसरे के बोलते समय ''चुप रहने'' या भाषण देने से परहेज करना आवश्यक था। इसलिए इस भाग में *sigao* का अर्थ मण्डली को सम्बोधित करने के लिए बहस में भाग लेने के अर्थ में ''चुप रहना'' था। पौलुस ने स्त्रियों पर यही पाबन्दी लगाई क्योंकि ''स्त्री के लिए कलीसिया में बातें करना [भाषण देना] लज्जा की बात है'' (1 कुरिन्थियों 14:35)।

चौथा, यदि हम ''बातें करने'' और ''चुप रहने'' के सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष में सही हैं, तो स्त्रियों के लिए पौलुस का निर्देश यह था कि वे पूरी मण्डली में भाषण देने के लिए बहस न करें, बल्कि भाषण देने के लिए बहस से बचें। इसका स्त्री के मण्डली के रूप में गाने में भाग लेने से कोई सम्बन्ध नहीं था। बोलने वालों के लिए रुकावट को रोकने के लिए पौलुस ने यह भी कहा कि यदि स्त्रियों के मन में परमेश्वर की प्रेरणा से संदेश देने वालों से

कुछ पूछना हो तो उन्हें अपने घर में अपने-अपने पति से पूछना चाहिए।

अन्य विचार

यह ढंग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है। (1) यदि पौलुस इस आज्ञा का आधार व्यवस्था को बना रहा था न कि परम्परा या संस्कृति को, तो आयत 34 में पौलुस किस ''व्यवस्था'' की बात कर रहा था? मूसा की व्यवस्था के किसी आदेश में स्त्रियों को सार्वजनिक सभाओं में बोलने की मनाही या आराधना में स्त्रियों के अधीन होने के विषय की बात नहीं थी।

यीशु ने पुराने नियम के लेखों को शामिल करने के लिए ''तुम्हारी व्यवस्था'' शब्द का इस्तेमाल किया, बेशक वे बातें मूसा की व्यवस्था में नहीं थीं (यूहन्ना 10:34, भजन संहिता 82:6 के सम्बन्ध में; यूहन्ना 15:25, भजन संहिता 35:19 के सम्बन्ध में)। 1 कुरिन्थियों 14:21 में ''व्यवस्था'' की बात करने के लिए उसने यशायाह 28:11 से उद्धृत किया। जिस कारण जो ''व्यवस्था'' पौलुस के मन में थी उसे ढूंढ़ने के लिए हमें मूसा की व्यवस्था में देखने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्टतया पौलुस ने उत्पत्ति 3:16 की ओर संकेत किया: ''और वह तुझ पर प्रभुता करेगा।'' 1 कुरिन्थियों 14:35 में पौलुस ने यह नहीं कहा कि व्यवस्था में स्त्रियों को ''चुप रहने'' के लिए कहा गया था, बल्कि यह कहा कि व्यवस्था में उन्हें ''अधीन होने'' की आज्ञा दी गई थी। उसके कहने का अर्थ था कि ''चुप रहना'' यह दिखाता था कि वे ''अधीन'' हो रही हैं।

(2) पौलुस किन स्त्रियों के बारे में लिख रहा था? *gune* के बहुवचन शब्द *gunaikes* जिसका अनुवाद ''स्त्रियां'' हुआ है (1 कुरिन्थियों 14:34) का अर्थ ''स्त्रियां'' या ''पत्नियां'' हो सकता है। इस कारण कुछ लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि इस आयत में पौलुस नबियों की पत्नियों को अपने पतियों को रोकने की मनाही कर रहा था। यह सम्भावना है; परन्तु यदि पौलुस ने नबियों की पत्नियों कहना होता, तो इसे कहने का स्वाभाविक ढंग यह कहना था कि ''उनकी'' पत्नियां अर्थात भविष्यवक्तओं की पत्नियां चुप रहें। पौलुस ने किसी सर्वनाम का इस्तेमाल नहीं किया, जो सम्भवतया इस बात का संकेत है कि उसके कहने का अर्थ सामान्य स्त्रियां था न कि ''उनकी'' पत्नियां अर्थात भविष्यवक्ताओं की पत्नियां। इसके अलावा स्त्रियों के उसके दूसरे हवाले में मूल यूनानी में कोई उप पद नहीं है (''... क्योंकि स्त्री के लिए कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है''; 1 कुरिन्थियों 14:35), जिससे यह संकेत मिलता है कि सामान्य स्त्रियों पर विचार हो रहा था। निश्चय ही वह यह कहकर कि भविष्यवक्ताओं की पत्नियों के लिए कलीसिया में बातें करना अनुचित है पर दूसरी सब स्त्रियां बातें कर सकती हैं, भविष्यवक्ताओं की पत्नियों के लिए इस आज्ञा को सीमित नहीं कर रहा था।

(3) पति कौन हैं? *Aner* के बहुवचन शब्द *andras* का अर्थ ''पुरुषों'' या ''पतियों'' हो सकता है। सर्वनाम *idious* (''अपना'') का इस्तेमाल इस बात का संकेत है कि स्त्रियों को अपने ''ही पुरुषों'' से पूछना चाहिए था, जो ऐसी अभिव्यक्ति है कि इसका संकेत

आमतौर पर पतियों होता है, पर इस स्थिति में इसमें पतियों या पुरुषों को मिलाया गया है। यह तथ्य कि विवाह बड़ी छोटी उम्र में हो जाते थे यह अर्थ देता है कि अधिकतर कुंआरी लड़कियां बहुत छोटी थीं। अविवाहित लड़कियों की पौलुस ने बात नहीं की क्योंकि उन्होंने अपने छोटे होने के कारण बड़े लोगों की चर्चा का सम्मान करते हुए चुप रहना था। उनके लिए यह अर्थ होना था कि यदि वे प्रश्न पूछना चाहें तो इसी नियम का पालन करें जो विवाहित स्त्रियों पर लागू होता था और घर में अपने पुरुषों से सवाल पूछें।

एक पति नबी हो सकता था या वह प्रश्न के उत्तर जानने के लिए किसी नबी को ढूंढ़ कर उससे बात कर सकता था और फिर इसे अपनी पत्नी को बता सकता था। परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन लिखा नहीं गया था इस कारण कई सवाल उठने स्वाभाविक थे। अब नये नियम को पढ़कर स्त्रियां और पुरुष भविष्यवक्ताओं से सीधे प्रश्न पूछे बिना भविष्यवक्ताओं के उत्तर ढूंढ सकते हैं।

पौलुस ने उस स्थिति की बात नहीं की, जिसमें पत्नी एक मसीही है, जबकि उसका पति मसीही नहीं है। वह यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि कुंआरी लड़की की तरह उसके लिए पौलुस का निर्देश अकेले में नबी से प्रश्न पूछना हो सकता है, न कि मण्डली की सामान्य सभा में।

(4) ''घर में'' का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ यह है कि स्त्री केवल अपने घर के एकांत में ही प्रश्न पूछ सकती है? इस संदर्भ में शायद ''घर में'' 1 कुरिन्थियों 11:34 वाले ''घर में'' से अधिक पाबन्दी नहीं है: ''यदि कोई भूखा हो, तो अपने घर में खा ले, ...।'' यदि ''घर में'' उस संदर्भ में किसी के घर तक ही सीमित है तो मसीही लोग घर के अलावा किसी ढाबे, पार्क या किसी और जगह नहीं खा सकते।

आराधना सेवा के दौरान कोई पुस्तक पढ़ने की इच्छा करने वाले अपने पुत्र से कोई पिता कह सकता है, ''बेटा, तुम यह किताब घर में पढ़ सकते हों।'' वह यह नहीं कह रहा है कि उसका बेटा घर में बाहर किताब नहीं पढ़ सकता बल्कि यह कह रहा है कि उस किताब को कलीसिया में नहीं बल्कि कहीं और सही ढंग से पढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार ''घर में'' से पौलुस के कहने का अर्थ कलीसिया की साधारण सभा के बाहर कहीं के रूप में समझा जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो ''घर में'' के लिए क्लासरूम अधिक मेल खाएगा।

आरम्भिक कुरिन्थी लोग यह स्पष्ट सिखाते थे कि साधारण सभा में पुरुषों को भाषण देने और प्रश्न पूछने का अधिकार है, पर यह कि स्त्रियों को यह अधिकार नहीं था। यह आदेश यहां नबियों की पत्नियों के लिए हो या साधारण स्त्रियों के लिए हो, सब पर लागू होगा, क्योंकि ''स्त्री के लिए कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है'' (14:35)।

(5) ''लज्जा की बात'' का क्या अर्थ है? यहां *aischron* शब्द जिसका अर्थ ''लज्जा'' है (1 कुरिन्थियों 14:35; 1 कुरिन्थियों 11:6 में भी; इफिसियों 5:12)। द डेंकर-बाउर *ग्रीक इंग्लिश लैक्सिकन*[3] में इसकी परिभाषा ''अपमानजनक'' के रूप में दी गई है। यदि कोई स्त्री सभा में बातें करती है तो वह अपनी सीमा से बाहर बात कर रही है जिस कारण वह अपमानजनक कार्य कर रही है।

दानों का इस्तेमाल करने की स्थिति

1 कुरिन्थियों 14 के पहले भाग में पौलुस ने आत्मिक दानों की चर्चा की थी जिस कारण कइयों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह आदेश केवल तभी लागू होता था जब आत्मिक दानों का इस्तेमाल हो रहा था। ग्रोशेड ने इस विचार को इस प्रकार बताया:

> एक और आपत्ति यह है कि 14:34 को इसके संदर्भ से अलग नहीं किया जाना चाहिए और यह संदर्भ ग्लोसोलेलिया और भविष्यवाणी की और उन करिश्मों के इस्तेमाल के ढंग की चर्चा करता है। फिर यह आरोप लगाया जाता है कि स्त्रियों को इन सेवाओं के दौरान होने वाली ऐसी चर्चाओं में भाग लेने की मनाही है। पर यह व्याख्या बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि पौलुस बहुत साधारण शब्दों में बात करता है और केवल कुरिन्थियों की स्थिति का ध्यान नहीं रखता (*जैसा कि सब कलीसियाओं में है, यह लज्जा की बात है,* आदि)।[4]

स्त्रियों को ऐसी स्थिति में चुप रहने और दानों का इस्तेमाल न होने पर बोलना आवश्यक क्यों होना था। इससे यह लगता कि दान पाई हुई स्त्रियों के लिए अपने दानों का इस्तेमाल करने का समय वे समय होने थे जब दानों का इस्तेमाल किया जा रहा हो। पौलुस साधारण सभा में अन्य भाषा बोलने वालों, भविष्यवक्ताओं और स्त्रियों के अलग-अलग समूहों से बात कर रहा था (1 कुरिन्थियों 14:23-35)।

सारांश

स्त्रियों को पूरी कलीसिया को सम्बोधित करने के लिए बहस करने से मना किया गया था। ऐसी स्थिति में उन्हें ''बोलने की अनुमति'' नहीं थी यानी वे भाषण नहीं दे सकती थीं या प्रश्न नहीं पूछ सकती थीं (1 कुरिन्थियों 14:34)। मुख्य स्थान लेना अधीनता की कमी को दर्शाना था। इस कारण से स्त्रियों के लिए मण्डलियों को सम्बोधित करना अपमानजनक बात थी। साधारण सभा में किसी प्रकार के अधिकार का स्थान होने के किसी संकेत से बचने के लिए स्त्रियों को अकेले में प्रश्न पूछने के लिए कहा गया था।

मसीही स्त्री को सप्ताह के 168 घण्टे प्रभु का वचन बताने के अवसर हैं, पर उन तीन घण्टों में या जब कलीसिया इकट्ठी हुई हो तब नहीं। कुछ मामलों में पुरुषों से अधिक सम्पर्क और अवसर उसके पास हो सकते हैं। परमेश्वर उससे उन घण्टों का इस्तेमाल तब करने की उम्मीद करता है जब वह जीवन के अद्‌भुत वचनों को फैलाने के लिए बोल सकती है। ऐसे अवसर मिलने पर बोलकर वह परमेश्वर की महिमा और कई लोगों को यीशु के पीछे चलने के लिए प्रभावित करके कर सकती है।

टिप्पणियां

[1]एफ. डब्ल्यू. ग्रोशेड, *कमैंट्री ऑन द फर्स्ट एपिस्टल टू द कुरिन्थियन्स,* द न्यू इंटरनैशनल कमैंट्री ऑन द न्यू टैस्टामेंट (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी.ईर्डमैंस पब्लिशिंग कं., 1953), 341. [2]एवरेट एण्ड नैंसी फर्ग्यूसन, ''NT टीचिंग ऑन द रोल ऑन द रोल ऑफ वीमैन इन द असैम्बली,'' *गॉस्पल एडवोकेट* (अक्टूबर 1990): 29. [3]वाल्टर बाउर, *ए ग्रीक-इंग्लिश लैक्सिकन ऑफ द न्यू टैस्टामेंट एण्ड अदर अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर,* दूसरा संस्क., संपा. विलियम एफ. अर्ंट, एफ. विल्बर गिंगरिक एण्ड फ्रैडरिक डब्ल्यू. डैंकर (शिकागो, इलिनोइस: यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रैस, 1979), 24. [4]ग्रोशेड, 342.